जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 12-11-2022

आज दिनांक 12.11.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कमार** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

अपराध और अपराधियों के रोकथाम के दृष्टिगत चलाए गए विशेष अभियान के तहत जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर घर पर कर रहा था निवास

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री राम प्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में एनबीडव्ल्यू, वांछित, जिला बदर के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मुखबिर की सूचना पर जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता वीरेन्द्र शर्मा पुत्र लाल चन्द्र शर्मा निवासी मुठईखुर्द थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए जनपदीय सीमा के अन्तर्गत पाये जाने पर आज दिनांक 12.11.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी संतकबीरनगर द्वारा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दिनांक 01.10.2022 से 06 माह हेतु जिला बदर का आदेश निर्गत किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर घर पर लुक छिप कर निवास करने के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 670/2022 धारा-4 / 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, का0 संजेश, का0 राजन खरवार।

थाना महुली पुलिस द्वारा चोरी के मामले में वाँछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना महुली **श्री संतोष कुमार मिश्रा** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 482/ 2022 धारा 379 / 411 भादवि से संबंधित 03 अभियुक्त को नाम पता 1- अरमान पुत्र कुतुबुद्दीन निवासी बरदहिया भेली मण्डी, 2- उजैफा उर्फ उज्जू खान पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी पठान टोला, 3 – जीशान पुत्र खुर्शीद निवासी चुड़ी फरोस मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद को चोरी 01 अदद मोबाइल व ई-रिक्शा यूपी 58 टी 1444 के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी-

1- 01 अदद आईटेल कम्पनी का मोबाईल व 300 रुपये नकद (अभियुक्त अरमान के पास से)।
2- 01 अदद ई-रिक्शा व 425 रुपये नकद (अभियुक्त जीशान के पास से)
3- 300 रुपये नकद (अभियुक्त उजैफा उर्फ उज्जू के पास से)

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री बालजीत यादव, हे0का0 आरिफ खान, का0 सर्वजीत यादव, हो0गा0 सुरेन्द्र, पीआरडी दीनानाथ राय (चालक)।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 40 शीशी अवैध कच्ची शराब बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 40 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 04 अभियुक्त नाम पता 1 – अर्जुन पुत्र रामदुलारे निवासी अमिलहवा तुलसीपुर, 2 – गुड्डू पुत्र अदालती निवासी अमरडोभा, 3 – कन्हैया पुत्र भवन साहनी निवासी ठाकुरद्वारा, 4 – राधेश्याम पुत्र मोहित निवासी शिवरही थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-10-10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 434 /2022, 435 / 2022, 436 / 2022 व 437 / 2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालजी यादव, का0 भानू प्रताप सिंह, का0 अविनाश यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 2545 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घयाल 02 व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल -</u> पीआरवी 2545 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत मीरगंज से इवेन्ट संख्या 13403 से मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्ति नाम पता (सुभाष सोनी पुत्र गंगाराम, 2 – पिंकी पुत्री सुभाष निवासी लहरी थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती) के घायल होने के संबन्ध सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए लोगों को पीआरवी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थनीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 सुदामा प्रसाद, म0आ0 मीनू राजभर, संतोष दूबे।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 182 वाहनो से 1,74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.11.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनिय म के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 182 वाहनों से 1,74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।